न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 56/2024

अनवान : –

1. सरपंच, ग्राम पंचायत रतनपुरा, जिन्द्रपाल पुत्र भागमल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. अमन डुडी पुत्र बलवीरसिंह जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
2. ईमरता पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
3. ओमप्रकाश पुत्र रामकुमार जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
4. चन्द्रमुखी पत्नी बलवीर जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
5. नितिन पुत्र राम कुमार जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
6. राजेन्द पुत्र बद्रीप्रसाद जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
7. विजयसिंह पुत्र हरिराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
8. श्रवण कुमार पुत्र लिच्छुराम जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
9. शारदा पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
10. सतपाल पुत्र दलीपसिंह जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
11. सुनिता पत्नी रमेशकुमार जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
12. सरोज पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी रतनपुरा तहसील नोहर।
13. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–**1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता प्रार्थी**
2. श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक:** 12/02/2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 क के अन्तर्गत पेश किया है जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 14 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 1/1 की कुल 0.1900 हैक्ट भूमि आराजीराज दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा रोही मौजा चक 14 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 203/207 की कुल 2.4540 हैक्ट भूमि के गैरसायल स0 1 ता 12 खातेदार काश्तकार है।

बजट घोषणा 09/2024–25 के अन्तर्गत ब्लॉक नोहर में Faecal Sludge Management कार्य के लिए राजस्व ग्राम 14 केएनएन ग्राम पंचायत रतनपुरा का चयन किया गया है। जिसके लिए चक 14 केए[illegible]हर के खाता स0 1/1 की कुल 0.1900 हैक्ट अराजीराज भूमि में जाने के लिए स्वी[illegible] है इसलिए आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। आराजी[illegible] भूमि व गैरसा[illegible]लान की भूमि चिपत[illegible] है तथा 14 केएनएन तहसील नोहर नोहर के खाता स0 1/1 क[illegible] कुल 0.1900 हैक्ट भू[illegible] स्वीकृतशुदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.25 18:56:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रास्ता से होते हुए गैरसायलान के रोही मौजा 14 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 203/207 के प0न0 311/366 (35) के किला न0 25 की 0.2530 हैक्ट भूमि के मिन दक्षिण की 0.025 हैक्ट किला न0 24 की 0.2530 हैक्ट भूमि के मिन दक्षिण की 0.025 हैक्ट एवं आराजीराज भूमि रोही मौजा 14 केएनएन के खाता स0 1/1 के प0न0 311/366 (35) के किला न0 23/2 की 0.1900 हैक्ट भूमि के मिन दक्षिण पूर्वी कोना की 0.002 हैक्ट भूमि से होते हुए सायल आराजीराज भूमि चक 14 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 1/1 के प0न0 311/366(35) के किला न0 2 में प्रवेश करता है। अराजीराज भूमि में जाने के लिए यही रास्ता सबसे सुविधाजनक व नजदीकी रास्ता है। अत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि रोही मौजा 14 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 203/207 के प0न0 311/366 (35) के किला न0 25 के मिन दक्षिण की 0.025 हैक्ट किला न0 24 के मिन दक्षिण की 0.025 हैक्ट एवं आराजीराज भूमि रोही मौजा 14 केएनएन के खाता स0 1/1 के प0न0 311/366 (35) के किला न0 23/2 की 0.002 हैक्ट भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 8 व 11 ता 12 की तरफ से अधिवक्ता श्री महेशचन्द्र शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। अप्राथी सं0 9 ता 10 को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाहीं अमल में लायी गयी। अप्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की सरकार द्वारा उक्त योजना के लिए 0.190 हैक्ट भूमि स्वीकृत की गई है केवल मात्र थोड़ी ही भूमि स्वीकृत की गई है इतनी जमीन में योजना कामयाब नही हो सकती है केवल मात्र सरपंच व ग्रामसेवक द्वारा गलत योजना तेयार की गई है क्योकि गांव बहुत बड़ी आबादी का है। उक्त रास्ता स्वीकृत करने से अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। सायल न तो खातेदार काश्तकार है न ही कोई अधिकृत प्राधिकारी है इसलि सायल को यह प्रार्थना पत्र लाने का कोई अधिकारी नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमनें प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों, अप्रार्थी का जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन एवं अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 14 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 1/1 की कुल 0.1900 हैक्ट भूमि आराजीराज तथा रोही मौजा चक 14 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 203/207 की कुल 2.4540 हैक्ट भूमि के गैरसायल स0 1 ता 12 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। गैरसायलान का कथन है कि सरकार द्वारा उक्त योजना के लिए 0.190 हैक्ट भूमि स्वीकृत की गई है केवल मात्र थोड़ी ही भूमि स्वीकृत की गई है इतनी जमीन में योजना कामयाब नही हो सकती है केवल मात्र सरपंच व ग्रामसेवक द्वारा गलत योजना तेयार की गई है क्योकि गांव बहुत बड़ी आबादी का है। उक्त रास्ता स्वीकृत करने से अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। सायल न तो खातेदार काश्तकार है न ही कोई अधिकृत प्राधिकारी है इसलि सायल को यह प्रार्थना पत्र लाने का कोई अधिकारी नही है। जबकि उक्त प्रार्थना पत्र सरपंच ग्राम पंचायत रतनपुरा द्वारा [illegible] की विधिअनुसार है। सायल के कथनानुसार बजट घोषणा 09/2024-25 के [illegible] में Faecal Sludge Management कार्य के लिए राजस्व ग्राम 14 [illegible] ग्राम पंचायत रतनपुरा का चयन किया गया है। जिसके लिए चक 14 केएनएन तहसील नोह[illegible]नोहर के खाता स0 1/1 की कुल 0.

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.25 18:56:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

1900 हैक्ट अराजीराज भूमि में जाने के लिए स्वीकृतशुदा रास्ता नही है इसलिए आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। अतः राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं के सफल कियान्वन के लिए रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा 14 केएनएन तहसील नोहर के खाता स0 203/207 के प0न0 311/366 (35) के किला न0 25 के मिन दक्षिण की 0.025 हैक्ट किला न0 24 के मिन दक्षिण की 0.025 हैक्ट एवं आराजीराज भूमि रोही मौजा 14 केएनएन के खाता स0 1/1 के प0न0 311/366 (35) के किला न0 23/2 की 0.002 हैक्ट भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है एवं उक्त रास्ता भूमि की एवज में प्रार्थी द्वारा डीएलसी रेट की राशि तहसील कार्यालय में जमा करवायेंगे तथा तहसीलदार नोहर राशि जमा होने के पश्चात राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज कर मौके पर चालू करवाना सुनिश्चित करे एवं नियमानुसार राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जावें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। तहसीलदार को पालना हेतु पृथक से लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 12/02/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.25 18:36:59 IST
Reason: SelfAttested